न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं० 13, गाजियाबाद।

उपस्थित: पीठासीन अधिकारी– सौरभ गोयल, एच.जे.एस. (UP 2757)

सत्र परीक्षण संख्या–955/2022

मुकदमा अपराध सं० –785/222
उ०प्र० राज्य बनाम अंकित पाल आदि
धारा–498–A,323,304–B भा०द०सं०
व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद।

उपस्थित–

1. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री विरेश त्यागी एवं सहयोगी अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा।

2. अभियुक्त अंकित पाल जेल से उपस्थित व उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

दिनांक–**31–07–2023**

1– पत्रावली पेश। पुकार कराई गयी। पत्रावली वास्ते आरोप विरचिन हेतु नियत है। जिस पर अभियुक्त अंकित पाल की ओर से दिनांक 23.01.2023 में वकालतनामा अधिवक्ता कुलदीप सिंह की ओर से दायर किया गया व एक प्रार्थना पत्र कागज संख्या 7 ख पत्रावली को धारा 227/228 दं०प्र०सं० के नियत होने व उसी दिन अधिवक्ता नियुक्त होने के कारण स्थगन की मांग को लेकर दाखिल किया व उस पश्चात विगत 17 नियत तिथियों पर अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए व जमानत में मूल प्रपत्र जाने व वापिस आने के पश्चात भी विगत 5 नियत तिथियों से आरोप के स्तर पर बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। अभियुक्त से उसके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में पूछा गया तो उस द्वारा उसका अधिकवक्ता होने की पुष्टि की व आज दिनांक 31–07–2023 समय 03:30 अपराह्न तक भी अभियुक्त की तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। आरोप के स्तर पर अभियुक्त को पूर्ण सुनवाई का मौका दिया जा चुका है। फिर भी उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए जिससे यह प्रतीत होता है कि वह इस पत्रावली के निस्तारण को अनावश्यक रूप से विलम्बित करना चाहते हैं व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना प्रबल है।

2– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य अपराध अंतर्गत धारा 302 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप तय कर वैकल्पिक आरोप के तौर पर धारा 304 बी भा०दं०सं० लगाने की प्रार्थना की व मृत्तका की मृत्यु के समय गर्भवती होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध धारा 316 भा०दं०सं० के आरोप विरचित करने के लिए प्रार्थना की।

3– पत्रावली का अवलोकन किया व अभियोजन पक्ष को सुना व अभियुक्त को आरोप के स्तर पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जिस पर उस द्वारा कोई कथन नहीं किया गया।

4– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र आदि 2012 9 SCC 460 में यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को आरोप तय करते समय पत्रावली व

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को और विपक्षीगण को सुनकर आरोप तय करने चाहिए और न्यायालय के विचार में यह अवधारण आती है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो उसके आरोप तय कर देने चाहिए। न्यायालय की संतुष्टी पर आरोप के आवश्यक तत्वों के संदर्भ में होने चाहिए और संतुष्टि का स्तर प्रथमदृष्टया से भी कमजोर हो सकता है। अर्थात न्यायालय प्रथमदृष्टया गम्भीर संदेह के आधार पर भी आरोप विरचित कर सकता है।

सज्जन कुमार बनाम सी.बी.आई. 2010 9SCC 368 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अगर पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से अपराध की अवधारणा आती है तो उन अपराधों में आरोप तय कर देने चाहिए। आरोप के स्तर पर तथ्य की ओर साक्ष्यों की प्रामाणिकता, सत्यता और एविडेन्सरी वैल्यू का मूल्यांकन करना कतई आवश्यक नहीं है। आरोप के स्तर पर न्यायालय को आरोप तय करने आधार बताये जाने की आवश्यकता नहीं है।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह तथ्य विदित होते हैं कि :–

1– अभियुक्त द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अपराध में प्रयुक्त चाकू व खून से सने कपड़ों की बरामदगी करवाई है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान व चिकित्सीय प्रपत्रों से तनु का गला रेतकर मारने का कथन किया गया है व मृत्तका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण होना अंकित है

3– प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान में दहेज की मांग करना व दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करने का कथन है व शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु होना विदित है।

4– चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार मृत्तका तनु मृत्यु के समय 6 माह की गर्भवती थी।

5– साक्षियों द्वारा मृत्तका के हाथ व हथेली पर भी कट के निशान केस डायरी में बताये गये हैं।

6– उपरोक्त सभी तथ्यों, विधि व्यवस्था व पत्रावली पर उपसव्ध साक्ष्यों से अभियुक्त अंकित पाल द्वारा तनु की मृत्यु कारित करने की अवधारणा निकलती है व माननीच उच्चतम न्यायालय द्वारा जसविन्दर सैनी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एन.सी.टी. दिल्ली (2014) AIR SC 841 में यह विधि व्यवस्था स्थापित की है कि यदि धारा 302 भा०दं०सं० के सभी घटक साक्ष्यों से विदित होते हैं तो अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० के आरोप विरचित किये जाने चाहिए व धारा 304 बी भा०दं०सं० में वैकल्पिक आरोप बनाये जाने चाहिए।

इस पत्रावली में सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया धारा 302 भा०दं०सं० का अपराध कारित किया जाना विदित होता है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भा०दं०सं० का मुख्य अपराध बनाया जाना न्यायोचित है।

7– पत्रावली में धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 498–A, 323 भा०द०ंस०ं के संदर्भ में भी पर्याप्त आधार हैं। इनके अंतर्गत भी आरोप तय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– वैकल्पिक आरोप के रूप में धारा 304 बी भा०दं०सं० विरचित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि दहेज की मांग के संदर्भ में व दहेज के लिए उत्पीड़न के कथन साक्षियों द्वारा अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान व प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिये गये हैं व शादी के 07 साल के अंदर तनु की मृत्यु हुई है।

9– अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 316 भा०दं०सं० के अंतर्गत भी आरोप विरचित करने के लिए

पर्याप्त आधार होना बताया व उन द्वारा 12 सप्ताह से ऊपर के गर्भ को Quick Unborn Child की श्रेणी में आने, जिसके संदर्भ में विधि व्यवस्था मोर्गन बनाम स्टेट (1991) Cri.LJ 1680 मद्रास उच्च न्यायालय का हवाला दिया व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीय जब्बार एवं अन्य बनाम स्टेट (1966) AIR ALLAHABAD 590 जिस अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी कृत्य गर्भ में बच्चे को मारने हेतु किया गया। यदि वह कृत्य माता को मारने के लिए भी किया गया और वह माता की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है तो अभियुक्त के विरुद्ध धारा 316 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप तय होने चाहिए।

इस पत्रावली में उपलब्ध चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार 06 माह का गर्भ था जो बिना किसी चिकित्सीय प्रपत्रों के भी प्रत्यक्ष रूप से विदिति होता है व अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य से माता की मृत्यु हुई है तो उसके विरुद्ध धारा 316 भा०दं०सं० के अंतर्गत भी आरोप तय करने के पर्याप्त आधार हैं।

10– अभियुक्त अंकित पाल के विरुद्ध धारा 302,323,498–A,316 भा०दं०सं० व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 304–B भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित है। अग्रिम नियत तिथि पर इन धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त अंकित पाल के विरुद्ध आरोप विरचित किये जायें। अग्रिम नियत तिथि 02–08–2023 नियत हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–13, गाजियाबाद।